प्रेस नोट　　　　　दिनांक 15.09.2020
सराहनीय कार्य जनपद बागपत।

➢ **थाना चांदीनगर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम ढिकौली में हुई बुजुर्ग की हत्या की घटना का सफल अनावरण, संलिप्त अभियुक्त गिरफ्तार, निषादेही से घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल एक ईट व चादर बरामद।**

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 08/09–09–2020 की रात्रि में सतपाल सिंह पुत्र बिसम्बर सिंह उम्र 80 वर्ष निवासी ग्राम ढिकौली थाना चांदीनगर की ग्राम ढिकौली में घर पर सोते हुए सिर व चहरे पर चोट पहुंचाकर हत्या कर दी है। मृतक सतपाल सिंह के पुत्र प्रमोद की लिखित तहरीर के आधार पर थाना चांदीनगर पर मु0अ0सं0 147/2020 धारा 302 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था।

पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बागपत के निर्देषन, अपर पुलिस अधीक्षक महोदय व क्षेत्राधिकारी खेकडा के नेतृत्व में थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा आज दिनांक 15.09.2020 को ग्राम ढिकौली से हत्या में संलिप्त अभियुक्त (मृतक का पुत्र) प्रमोद पुत्र सतपाल निवासी ग्राम ढिकौली थाना चांदीनगर जनपद बागपत को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त की निषादेही से हत्या में प्रयुक्त आलाकत्ल एक ईट व चादर बरामद की गयी है। अभियुक्त के विरूद्व थाना चांदीनगर पर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ पर प्रकाष में आये तथ्य–

अभियुक्त प्रमोद ने पूछताछ पर बताया कि उसके नाबालिक पुत्र ने अपने एक साथी के साथ मिलकर दिनांक 25–08–2020 को थाना चांदीनगर क्षेत्रान्तर्गत बागपत रोड पांची चौराहे के पास टयूबवैल पर ईख के खेत में मंदबुद्दि सुषील पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम ढिकौली थाना चांदीनगर की अप्राकृतिक कृत्य कर हत्या कर दी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना चांदीनगर पर मु0अ0सं0 141/2020 धारा 302, 201, भादवि पंजीकृत किया गया था। जिसमें दिनांक 02.09.2020 को थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा उसके नाबालिक पुत्र को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अपने नाबालिक पुत्र की जमानत के लिए अभियुक्त प्रमोद अपने पिता सतपाल से 30 हजार रूपये की मांग कर रहा था, न देने पर अभियुक्त प्रमोद द्वारा दिनांक 08/09–09–2020 की रात्रि में अपने पिता सतपाल उम्र 80 वर्ष की सोते हुए सिर व चहरे पर चादर रखकर ईट से चोट पहुंचाकर हत्या कर दी थी।

अभियुक्त का नाम व पता–

(मृतक का पुत्र) प्रमोद पुत्र सतपाल निवासी ग्राम ढिकौली थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण–

1–निषादेही से हत्या में प्रयुक्त आलाकत्ल एक ईट।

2–एक चादर।

➢ **अभियान के दौरान अवैध षराब की तस्करी करने वाले 08 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 09 पेटी व 20 पव्वा (85 लीटर देषी/अंग्रेजी) षराब हरियाणा/यूपी प्रदेष मार्का नाजायज बरामद।**

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बागपत के निर्देषन में अवैध षराब तस्करों के विरूद्व चलाये जा रहे विषेष अभियान के दौरान–

थाना छपरौली– पुलिस द्वारा दिनांक 14.09.2020 को षिव मंदिर के पास ग्राम कुर्डी से अभियुक्त 1–सहन्सर पुत्र खिलाडी 2–बाबू पुत्र बालू निवासी गण ग्राम कुर्डी थाना छपरौली जनपद बागपत को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त सहन्सर के कब्जे से 02 पेटी देषी षराब व अभियुक्त बाबू से 01 पेटी देषी षराब यूपी मार्का नाजायज बरामद की गई है। अभियुक्तों के विरूद्व थाना छपरौली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना बडौत– पुलिस द्वारा दिनांक 14.09.2020 को सराय रोड कस्बा बडौत से अभियुक्त आदिल पुत्र इकबाल निवासी कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के कब्जे से 03 पेटी अंग्रेजी षराब पंजाब मार्का नाजायज बरामद की गई है। अभियुक्त के विरूद्व थाना बडौत पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना खेकडा– पुलिस द्वारा दिनांक 14.09.2020 को ग्राम काठा रोड से अभियुक्त 1–चमन पुत्र ष्याम सिंह निवासी ग्राम सुभानपुर थाना खेकडा 2–संदीप पुत्र राजकुमार निवासी मौ0 विजयनगर थाना खेकडा जनपद बागपत को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त चमन के कब्जे से 25 पव्वा देषी षराब व संदीप से 25 पव्वा देषी षराब हरियाणा मार्का व अंडर पास पेरिफेरल हाईवे से अभियुक्त मुस्तकीम पुत्र षब्बीर निवासी रठौडा थाना छपरौली को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के कब्जे से 48 पव्वा देषी षराब हरियाणा मार्का नाजायज बरामद की गई है। अभियुक्तों के विरूद्व थाना खेकडा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना कोतवाली बागपत– पुलिस द्वारा दिनांक 14.09.2020 को कस्बा टटीरी से अभियुक्त मुकेष पुत्र रामफल निवासी कस्बा टटीरी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के कब्जे से 45 पव्वा देषी षराब यूपी मार्का नाजायज बरामद की गई है। अभियुक्त के विरूद्व थाना कोतवाली बागपत पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना दोघट– पुलिस द्वारा दिनांक 14.09.2020 को ग्राम दाहा से अभियुक्त रवि गुप्ता पुत्र मुकेष गुप्ता निवासी ग्राम दाहा थाना दोघट जनपद बागपत को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के कब्जे से 20 पव्वा देषी षराब यूपी मार्का नाजायज बरामद की गई है। अभियुक्त के विरूद्व थाना दोघट पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

- **थाना बिनौली पुलिस द्वारा षस्त्र अधिनियम में 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से एक तमंचा मय कारतूस व एक चाकू नाजायज बरामद।**

थाना बिनौली– पुलिस द्वारा दिनांक 14.09.2020 को जंगल ग्राम पिचौकरा से अभियुक्त 1–इरफान उर्फ कोली पुत्र षाबिर 2–टीटू पुत्र राकेष निवासीगण ग्राम पिचौकरा थाना बिनौली जनपद बागपत को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त इरवफान उर्फ कोली के कब्जे से एक तमंचा 315 बोर मय 03 जिंदा कारतूस व टीटू से एक चाकू नाजायज बरामद किया गया है। अभियुक्तों के विरूद्व थाना बिनौली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

- **थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा पषु कू्रता अधिनियम में 06 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से एक केन्टर गाडी मय कू्रतापूर्वक भरे हुए 16 पषु बरामद।**

थाना कोतवाली बागपत– पुलिस द्वारा आज दिनांक 15.09.2020 को चैकिंग के दौरान गौरीपुर मोड से अभियुक्त 1–मौ0 सलीम पुत्र मौ0 इददू निवासी बलैर कटौर पंजाब 2–आजम पुत्र एहसान निवासी ग्राम लुई जनपद मुजफ्फरनगर 3–वाजिद पुत्र असगर निवासी ग्राम हुसैनपुर थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर 4–आवेष पुत्र पप्पू 5–अनत पुत्र इरफान 6–इमरान पुत्र इनाम निवासी गण ग्राम षिकारपुर थाना भौराकलां जनपद मुजफ्फरनगर को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों के कब्जे से एक केन्टर गाडी

नम्बर–यूपी–12बीटी–1192 मय क्रूरतापूर्वक भरे हुए 16 पषु बरामद किये गये है। अभियुक्तों के विरूद्व थाना कोतवाली बागपत पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

- **थाना खेकडा पुलिस द्वारा 02 पषु चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की हुई एक भैंस बरामद।**

थाना खेकडा– पुलिस द्वारा दिनांक 13/14.09.2020 को ग्राम विनयपुर से 02 पषु चोर 1–सलीम पुत्र लियाकत 2–इसराइल उर्फ दिलावर पुत्र नजाकत निवासी गण ग्राम रटौल थाना खेकडा जनपद बागपत को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की गई एक भैंस बरामद की गई है। अभियुक्तों द्वारा दिनांक 13/14–09–2020 की रात्रि में ग्राम विनयपुर से गिरीराज पुत्र जयचन्द निवासी ग्राम विनयपुर थाना खेकडा जनपद बागपत के घेर से एक भैंस चोरी की गयी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 368/2020 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया था। अभियुक्तों के विरूद्व थाना खेकडा पर विधिक कार्यवाही की जा रही है।